



—: न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा :-
बईजलास रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

मिसल न००५/२०२३

बउनवान

1. दयाचन्द पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासीग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. कुंजबिहारी पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासीग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. बद्रीबाई पत्नी किशनगोपाल जाति धाकड निवासीग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. भगवतीबाई पुत्री किशनगोपाल पत्नी मुकुटबिहारी जाति धाकड निवासीग्राम नाहरिया हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।


— वादीगण—

बनाम

1. कमल किशोर पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासीग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. चन्द्रकान्ती पत्नी स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासीग्राम श्यामपुरा
3. मुकेश कुमार पुत्र स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासीग्राम श्यामपुरा
4. राकेश कुमार पुत्र स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासीग्राम श्यामपुरा
5. सुलोचना कुमारी पुत्री स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासीग्राम श्यामपुरा
6. हरिप्रसाद पुत्र स्व० किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा जर्जे कायम मुकाम :-
 - 6/1. दमयन्ती पत्नी स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
 - 6/2. जसवन्त पुत्र स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
 - 6/3. रोहित पुत्र स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
 - 6/4. मीना पुत्री स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
- निवासीगण ग्राम श्यामपुरा हाल निवासीग्राम कवल्दा तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
- 6/5. चेतना पुत्री नाबालिग जर्जेवली पिता ललित कुमार नागर पुत्र लक्ष्मीनारायण नागर जाति धाकड ग्राम मण्डोला जिला बारां राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्जे तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,आर टी एक्ट


उप खण्ड मजिस्ट्रेट 2....
सांगोद (कोटा)

उपस्थिति:-


वादी की ओर से:- श्री अनुतोष नागर एडवोकेट
प्रतिवादी न01ता6 की ओर से :- श्री हेमन्त नागर एडवोकेट
प्रतिवादी न07 की ओर से:- सरकार पैरोकार

--: निर्णय ::-

दिनांक:-15.5.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 54 पुरानी 48 के खसरा न0106 की 0.38हेक्टर, खसरान0 107 की 0.11हेक्टर, खसरान0 178 की 0.79 हेक्टर, खसरा न0 458 की 1.03हेक्टर, खसरा न0 510 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 511 की 0.94 हेक्टर, खसरा न0 512 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 513 की 3.21हेक्टर, खसरा न0 716 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 717 की 0.03हेक्टर, खसरा न0 718 की 1.13हेक्टर, खसरा न0 789 की 0.22हेक्टर कुल कितना 12 की 7.87हेक्टर आराजीयात स्थित है, जो वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है, तथा वर्तमान में उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से खाते में गलत रूपसे दर्ज हो गई है। वादीगण के पिताजी व प्रतिवादीगण के पिताजी का नाम एक ही है, तथा जाति भी एक ही है, तथा वादीगण की आराजी व प्रतिवादीगण की आराजी एक ही माल ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा उनके खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नाहरिया के खाता स0 नई 53 की खसरा न0 240/1215 की 0.88हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमें राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती करवाने हेतु माननीय न्यायालय में एक वाद प्रकरण स0 32/2022 तारीख दायरा 8.4.2022 बउनवान राकेश कुमार नागर वगैरा बनाम हरिप्रसाद वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट का प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 14.5.2022 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, उक्त निर्णय व डिक्री की इजराय की पालना करते वक्त वादीगण व प्रतिवादीगण के दादाजी का एक ही नाम होने व उक्त आराजीयात एक ही माल ग्राम में स्थित होने व वादी व प्रतिवादीगण एक ही जाति समाज के होने से वादीगण की आराजी माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0नई 54 पुरानी 48 के खसरान0 106 की 0.38 हेक्टर, खसरा न0 107 की 0.11हेक्टर, खसरा न0 178 की 0.79हेक्टर, खसरा न0 458 की 1.03हेक्टर, खसरान0 510 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 511 की 0.94हेक्टर, खसरा न0 512 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 513 की 3.21हेक्टर, खसरा न0 716 की 0.01 हेक्टर,


3....


उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खसरा न0 717 की 0.03 हेक्टर, खसरा न0 718 की 1.13 हेक्टर, खसरा न0 789 की 0.22 हेक्टर कुल किता 12 की 7.87 हेक्टर आराजीयात में भी प्रतिवादीगण का नाम अंकित कर दिया। जबकि उक्त आराजीयात वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व खाते की आराजी है। जिसमें आज भी वादीगण ने ही फसल बो रखी है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग की व कब्जे काश्त की आराजी है, जो कि केवल मात्र वादीगण के ही खाते की रही है, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उनकी आराजी की घोषणा व दुरस्ती करवाने पर इजराय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण की आराजी के साथ साथ वादीगण की आराजी पर भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये, उक्त गलती सहवन से हुई है, जिसे दुरस्त करवाकर वादीगण के हितों तक प्रतिवादीगण द्वारा करवायी गयी इजराय की पालना को निरस्त करवाकर वादीगण के खाते दर्ज करवाने का वादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है। वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के साथ प्रतिवादीगण का भी नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद वादीगण द्वारा पटवारी हल्का महोदय से गलत रूपसे करवायी गयी इजराय की पालना को वादग्रस्त आराजी खाता स0 नई 54 की कुल किता 12 की 7.87 हेक्टर आराजीयात तक निरस्त करने व वादीगण के नाम दर्ज करने की कहने पर पटवारी हल्का द्वारा टालमटूल की गई, तथा प्रतिवादीगण से तहसील कार्यालय में चलकर उक्त त्रुटि को दुरस्ती करवाने की कहने पर प्रतिवादीगण भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वे माननीय न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत करके उक्त वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर केवल मात्र वादीगण के नाम खातेदारी की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, तथा प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिकी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है, साथ ही माननीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त वाद डिकी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई है, वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तथा प्रतिवादी न07 राजस्थान सरकार का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें भी वादीगण को ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है, और वाद डिकी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।


पत्रावली को बहस वादीगण में नियत की गई, जिस पर वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद के बिन्दुओं को दौहराया गया, तथा बहस सुनी जाकर पत्रावली का


 उप खण्ड मजिस्ट्रेट
 सांगोद (कोटा)

गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य उचित प्रतीत होने से मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।


—: आदेश :-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम नाहरिया पटवारहल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स० नई 54 पुरानी 48 के खसरा न० 106 की 0.38हेक्टर, खसरा न० 107 की की 0.11हेक्टर, खसरा न०178 की 0.79हेक्टर, खसरान०458 की 1.03 हेक्टर, खसरा न० 510 की 0.01 हेक्टर, खसरा न० 511 की 0.94हेक्टर, खसरा न० 512 की 0.01 हेक्टर, खसरा न०513 की 3.21हेक्टर, खसरा न०716 की 0.01 हेक्टर, खसरान० 717 की 0.03 हैक्टर, खसरा न० 718 की 1.13हेक्टर, खसरा न० 789 की 0.22हेक्टर कुल कित्ता 12 की 7.87हेक्टर आराजीयात वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त की होने से व प्रतिवादीगण के नाम गलत रूपसे दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाने, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर प्रतिवादीगण के नाम खाते से डिलीट किये जाने वादीगण के नाम इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाने के आदेश दिये जाते है,नियमानुसार डिक्री पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।


उप (समावतार मीनाए)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक15.11.2024.....को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।


उप (समावतार मीनाए)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्दादाई
आर. रूल्स 6-7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री रामावतार मीना (आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न० / तारीख दायरा:-10/4/2023

बउनवान

1. दयाचन्द पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. कुंजबिहारी पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. बंद्रीबाई पत्नी किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. भगवतीबाई पुत्री किशनगोपाल पत्नी मुकुटबिहारी जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया हाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। - वादीगण-

बनाम

1. कमल किशोर पुत्र किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. चन्द्रकान्ती पत्नी स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा
3. मुकेश कुमार पुत्र स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा
4. राकेश कुमार पुत्र स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा
5. सुलोचना कुमारी पुत्री स्व० पुरुषोत्तम जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा
6. हरिप्रसाद पुत्र स्व० किशनगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान जर्जे कायम मुकाम :-
6/1. दमयन्ती पत्नी स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
6/2. जसवन्त पुत्र स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
6/3. रोहित पुत्र स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
6/4. मीना पुत्री स्व० हरिप्रसाद जाति धाकड
निवासीगण ग्राम श्यामपुरा हाल निवासी ग्राम कवल्दा तह० खानपुर जिला झालावाड राज०
6/5. चेतना पुत्री नाबालिग जर्जेवली पिता ललित कुमार नागर पुत्र लक्ष्मीनारायण नागर जाति धाकड ग्राम मण्डोला जिला बारां राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जर्जे तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2.... -प्रतिवादीगण-
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

2....

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,आर टी एक्ट

दिनांक:- 15.5.2024

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री (रामावतार मीना)(आर ए एस) व हाजरी श्री अनुतोष नागर एडवोकेट वकील वादीगण एवं प्रतिवादी न01ता 6 श्री हेमन्त नागर एडवोकेट, प्रतिवादी न0 7 पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्रीमिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:-माल ग्राम नाहरिया पटवार हल्का नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 54 पुरानी 48 के खसरा न0 106 की 0.38हेक्टर, खसरा न0107 की की 0.11हेक्टर, खसरा न0178 की 0.79हेक्टर, खसरान0458 की 1.03 हेक्टर, खसरा न0 510 की 0.01 हेक्टर, खसरा न0 511 की 0.94हेक्टर, खसरा न0 512 की 0.01हेक्टर, खसरा न0513 की 3.21 हेक्टर, खसरा न0716 की 0.01 हेक्टर, खसरान0 717 की 0.03 हैक्टर, खसरा न0 718 की 1.13 हेक्टर, खसरा न0 789 की 0.22हेक्टर कुल किता 12 की 7.87हेक्टर आराजीयात वादीगण के शांति पूर्वक कब्जे काश्त की होने से व प्रतिवादीगण के नाम गलत रूपसे दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाने, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त कर प्रतिवादीगण के नाम खाते से डिलीट किये जाने वादीगण के नाम इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाने के आदेश दिये जाते है, तथा रहन बदस्तूर रहेगा।

(रामावतार मीना)
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद